

4042
207
236

SD I

25000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL
25000
रुपये
पच्चीस हजार रुपये

25000
रुपये

25000
रुपये

(03 उत्तर प्रदेश) UTTAR PRADESH

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

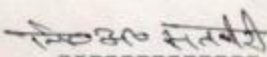
234751

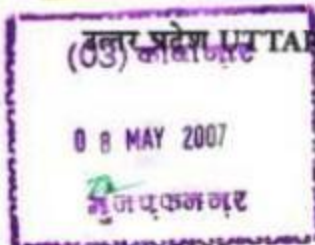



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

खसरा नं० 9

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम :-	शोरनगर



UTTAR PRADESH

234752

-2-

सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):-	खसरा नम्बर 9
मापन की इकाई :-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	1.0770 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेडों का मूल्यांकन:-	नहीं है
बोरिंग/कुआ/अन्य:-	नहीं है

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश (03) काठमांडू
08 MAY 2007
मुजफ्फरगढ़

UTTAR PRADESH

234752

-2-

सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):-	खसरा नम्बर 9
मापन की इकाई :-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	1.0770 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेड़ों का मूल्यांकन:-	नहीं है
बोरिंग/कुआ/अन्य:-	नहीं है

रजिस्ट्रार काठमांडू

[Signature]





(03) कोषागार
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

234753

08 MAY 2007

मुद्रापत्र

-3-

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- नहीं है
 प्रतिफल की धनराशि:- 13,47,000/-रुपये
 मालियत:- 13,46,250/-रुपये
 निर्धारित दर:- 12,50,000/-रुपये प्रति है0
 स्टाम्प शुल्क:- 1,34,700/-रुपये
 किस्म जमीन:- अव्वल आबी

रविशंकर शर्मा

[Signature]



119700/-

8-5-07
कोकणाट, धनश्यामराव

विक्रेता

Registration No.: 4842

Year: 2007

Book No.: 1

0101 सतबीरी

ब्रह्मसिंह

कुकटा जिला मुजफ्फरनगर

गृहिणी



1000 1000 1000
मुजफ्फरनगर





(03) कोषागार
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

234754

-4-

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

1- श्रीमति सतवीरी पत्नी श्री ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम कूकड़ा परगना

व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- गृहिणी

सिंह ब्रह्म सिंह

सुप्रीम



(03) कोटा नगर

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

0388 794757

-5-

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1:- श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर
द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200,
अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली व्यवसाय:- व्यापार

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671572



-6-

हम कि श्रीमति सतवीरी पत्नी श्री ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम
कूकडा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व
श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी
मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री माथाराम अग्रवाल
निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं।
जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज

रि० ब्रह्म सिंह

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671573

(03) का
03 MAY 2007
AE
मुजफ्फरपुर

-7-

संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671574

(03)

03 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

-8-

के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन तेरह लाख सैंतालीस हजार रुपये (13,47,000/- रुपये) निस्फ जिसके अंकन छः लाख तिहत्तर हजार पांच सौ रुपये (6,73,500/-रुपये) होते है बदस्त श्री बालाजी कन्सट्रक्शन

निष्कर्ष



[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 169823



-9-

377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा चैक नम्बरी 310252 विजया बैंक मुजफ्फरनगर दिनांक 08-05-2007ई0 प्राप्त कर लिये है। अब कोई पैसा बाकी

रूपेश कुमार



रूपेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 169824

(03) कोषागार

07 MAY 2007

अ. न्यायपालिका

-10-

नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 169825



-11-

विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी

र. सतनारी

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
(03) कांठ
07 MAY 2007
मुजफ्फरगढ़

B 169826

-12-

मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। चकरोड पर स्थित है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 42640/-रूपये होती है। विक्रीत भूमि का

रु. सुनी

Rupesh



500Rs.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

014898

-13-

मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 13,47,000/-
रुपये में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है विक्रीत
भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 13,46,250/-
रुपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है।
विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा
द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या

[Signature]



[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341257

-14-

में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम शोरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 9 रकबई 1.077 है0, लगान सालाना 53-30 रुपये

सत्यमेव जयते

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341258

-15-

किस्म जमीन जंगल अव्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर
किस्म।

सत्यमेव जयते



सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

साक्षी
प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीबुजवीर सिंह
गा. बाहन पुर
पो. जानसब
(मुजफ्फरनगर)

साक्षी
श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा
श्री कृष्ण शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा

तहरीर ता0:-08-05-2007 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

सत्यमेव जयते

आज दिनांक 08/05/2007 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 3514
पृष्ठ सं. 204 से 235 पर क्रमांक 4842
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


अशोक कटारीया

8/5/2007